फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टॉवर–1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः18–233–(एसआई लिपिक)2025 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 24 ,2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(43)/2025 दिनॉक 16.09.2025 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 20 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपयुक्त पाये गये 20 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में 31.08.2025 तक पुलिस निरीक्षक(लिपिक) की 06 रिक्तियॉ विद्यमान है, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 14 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह सितम्बर–2025 से जून 2026 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त के दृष्टिगत अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक–01 से 06 पर अंकित कर्मियों को तत्काल प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	7	920710007	श्री संजीव कुमार	स्व0 रामफल सिंह	15-06-1972	BPT	2025
2	8	920671188	श्री अमित कुमार त्रिपाठी	प्रकाश नारायण त्रिपाठी	17-02-1972	COMM. LKW	2025
3	9	920650792	श्रीमती मंजू देवरानी	स्व.रामप्रसाद देवरानी	24-05-1973	SHA	2025
4	11	922430682	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	स्व0 परशुराम पाण्डेय	08-04-1972	WPL 1090	2025
5	12	922210352	श्री मुनेश	दिनेश कुमार	15-12-1965	BHR	2025
6	14	920790148	श्री गोपाल जी	राधा कृष्ण राम	07-07-1974	PRJ	2025

3. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः13/21/89– का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी

Scanned with OKEN Scanner

जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट **http://uppolice.gov. in** में **'Police Units- Police Hqrs-PHQ Circulars (subjects) - Ministerial Establishment** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अपर सचिव प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ/बरेली, जोन।
3.अपर पुलिस महानिदेशक,वीमेन पावर लाइन–1090 , उ0प्र0।
4.पुलिस आयुक्त,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ/प्रयागराज।
5.पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, मेरठ/बरेली, परिक्षेत्र।
6.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बागपत/शाहजहांपुर/बुलन्दशहर, उ0प्र0।

संख्या तथा दिनांक वहीः–

प्रतिलिपि:अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न सूची को पत्र के प्रस्तर–7 में अंकित पुलिस की बेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

SI LIPIK TO ins lipik pramotion order2025

Scanned with OKEN Scanner